

इंटरनेट शटडाउन और इसके नहितार्थ

यह एडिटरियल 06/10/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "In Manipur, another internet shutdown, a conflict intensified" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में इंटरनेट शटडाउन के बारे में चर्चा की गई है और वचिार कथिा गया है कइ इंटरनेट शटडाउन अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और मानवाधकारों के लयि कसि प्रकार हानकारक है।

प्रलमिस के लयि:

[भारत के संवधान का अनुच्छेद 19\(1\)\(a\) और अनुच्छेद 19\(1\)\(g\)](#), [डजिटल इंडिया](#), [अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ \(2020\)](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [अनुच्छेद 21](#)।

मेन्स के लयि:

इंटरनेट शटडाउन: प्रभाव, पक्ष में तरक, वपिक्ष में तरक और आगे की राह।

इंटरनेट शटडाउन (Internet shutdowns) इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझकर कथिा गया व्यवधान है, जो उनहें कसिी वशिषि्ट आबादी के लयि या कसिी स्थान वशिष के भीतर पहुँच से वंचति या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है। ऐसा प्रायः सूचना के प्रवाह पर नयितरण स्थापति करने के लयि कथिा जाता है। इससे मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट या दोनों ही प्रभावति हो सकते हैं।

23 सतिंबर, 2023 को मणपुर सरकार ने पूर्ण इंटरनेट पहुँच की पुनर्बहाली की घोषणा की और कहा कइ बेहतर होती वधि-व्यवस्था की स्थति को देखते हुए यह नरिणय लयिा गया है। इस नरिणय से भारत के दूसरा सबसे दीर्घकालिक 'इंटरनेट ब्लैकआउट' की समाप्ति हुई जो 3 मई से 143 दिनों से अधकि समय तक जारी रही थी। इस खबर का सभी नागरकों ने—मणपुर लौटने की योजना बना रहे छात्रों से लेकर आवश्यक आपूर्तिके लयि संघर्ष कर रहे सहायता-कर्मयिों तक— राहत के साथ स्वागत कथिा।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधति प्रावधान:

- भारतीय तार अधनियम 1885 की धारा 5(2) जो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी नलिंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नयिम, 2017 के साथ पठति है:
 - ये नयिम संघ या राज्य के गृह सचवि को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में कसिी भी टेलीग्राफ या तार सेवा (इंटरनेट सहति) को नलिंबति करने का आदेश देने की अनुमति देते हैं।
 - ऐसे आदेश की एक समति द्वारा पाँच दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहयि और यह एक बार में 15 दिनों से अधकि अवधतिक जारी नहीं रह सकता। कसिी अत्यावश्यक स्थति में, संघ या राज्य के गृह सचवि द्वारा अधकृत संयुक्त सचवि स्तर या उससे ऊपर का अधकिारी आदेश जारी कर सकता है।
- **दंड प्रकरयिा संहति की धारा 144:**
 - यह धारा एक ज़िला मजसि्ट्रेट, एक उप-वभागीय मजसि्ट्रेट या कसिी अन्य कार्यकारी मजसि्ट्रेट को वशिष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में कसिी भी उपद्रव या व्यवधान को नषिदिध करने या रोकने के लयि आदेश जारी करने का अधकिार देती है।
 - ऐसे आदेशों में कसिी वशिष क्षेत्र में एक नरिदिषि्ट अवधा के लयि इंटरनेट सेवाओं का नलिंबन कथिा जाना शामिल हो सकता है।

इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव :

- इंटरनेट शटडाउन [अनुच्छेद 19\(1\) \(a\)](#) और [अनुच्छेद 19\(1\) \(g\)](#) के तहत प्रदत्त मूल अधकारों का उल्लंघन करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ \(2020\)](#) मामले में माना कइ इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभवियक्ति की स्वतंत्रता और कसिी भी वृत्तिका अभ्यास करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवधानिक संरक्षण प्राप्त है।
 - इंटरनेट शटडाउन [सूचना के अधकार \(Right to Information\)](#) का भी उल्लंघन करता है जसिे [राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य \(1975\)](#) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुच्छेद 19](#) के अंतर्गत एक मूल अधकार घोषति कथिा है।

- यह **इंटरनेट के अधिकार (Right to Internet)** का भी उल्लंघन करता है जिसे **फाहीमा शीरी बनाम केरल राज्य** मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा **अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया था।**
- **आर्थिक परिणाम:** इंटरनेट शटडाउन के गंभीर आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे व्यवसाय वित्तीय हानि के शिकार हो सकते हैं जो संचालन, बिक्री और संचार के लिये इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इससे स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
 - 'Top10VPN' के अनुसार भारत को इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2,091 करोड़ रुपए (255.2 मिलियन डॉलर) की हानि हुई।
- **शिक्षा में व्यवधान:** कई शैक्षणिक संस्थान शिक्षण और अधिगम (लर्निंग) के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इंटरनेट शटडाउन शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच को बाधित करते हैं, जिससे छात्रों के लिये अध्ययन जारी रखना कठिन हो जाता है।
- **भरोसा और सेंसरशिप संबंधी चिंताएँ:** इंटरनेट शटडाउन से सरकार और प्राधिकारों के प्रति भरोसे की कमी की स्थिति बन सकती है। वे सेंसरशिप और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न कर सकते हैं।
- **आपदा प्रतिक्रिया में बाधा:** वे लोगों के संचार और समन्वय को, विशेष रूप से आपात स्थिति और संकट के दौरान, प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) समर्थित एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इंटरनेट शटडाउन से लोगों की सुरक्षा और भलाई प्रभावित होती है, सूचना प्रवाह और मानवीय सहायता में बाधा उत्पन्न होती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में व्यवधान:** वभिन्न अध्ययनों से उजागर होता है कि इंटरनेट शटडाउन का तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति एवं उपकरणों के रखरखाव में बाधा, चिकित्साकर्मियों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करने और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करने के रूप में स्वास्थ्य प्रणालियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।
- **अंतरराष्ट्रीय परिणाम:** इंटरनेट शटडाउन अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है और इसकी नंदा की जा सकती है। इससे किसी देश की प्रतिष्ठा और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुँच सकता है।
 - उल्लेखनीय है भारत विश्व में इंटरनेट शटडाउन के मामले में कुख्यात देश है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा।
 - अमेरिका के डिजिटल अधिकार पक्षसमर्थक समूह 'एक्सेस नाउ' (Access Now) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सभी दर्ज शटडाउन में से 58% भारत में घटित हुए।
- **पत्रकारिता और रिपोर्टिंग पर प्रभाव:** पत्रकार घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और आम लोगों के साथ समाचार साझा करने के लिये इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इंटरनेट शटडाउन सूचना संग्रहण और प्रसारण की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, जिससे आम लोगों के जानने के अधिकार (right to know) को धक्का पहुँच सकता है।
 - इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1986) और बनेट कोलमैन बनाम भारत संघ (1972) मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार** को मूल अधिकार घोषित किया गया था।

इंटरनेट शटडाउन के संबंध में कौन-से तर्क दिये जाते हैं?

पक्ष में तर्क:

- इंटरनेट शटडाउन से **'हेट स्पीच'** और **'फेक न्यूज़'** के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है जो हिसा और दंगे भड़का सकते हैं। उदाहरण के लिये, भारत सरकार ने भ्रामक सूचनाओं से निपटने और वधिविषयवस्था बनाए रखने के लिये **गणतंत्र दविस** के अवसर पर **कसिनॉ के वरिध प्रदर्शन** को देखते हुए **दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट बंद करने की घोषणा** की थी।
- इंटरनेट शटडाउन से लोक व्यवस्था और सुरक्षा को बाधित करने वाले वरिध प्रदर्शनों के आयोजन एवं लामबंदी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये, सरकार ने किसी भी राष्ट्र-वरीधी गतिविधियों और अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिये **अनुच्छेद 370** को नरिसूत करने के बाद **कश्मीर और देश के अन्य कुछ हिसिनॉ में इंटरनेट शटडाउन** लागू किया था।
- इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाह्य खतरों और **साइबर हमलों** से बचाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिये, सरकार ने **चीन के साथ गतिरिध** के दौरान जासूसी या किसी गड़बड़ी को रोकने के लिये कुछ सीमावर्ती कषेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को नलिंबति कर दिया था।
- इंटरनेट शटडाउन से **उस तरह की सामग्री के वतिरण और उपभोग को नयित्तरि करणे में मदद मिल सकती है जो कुछ समूहों या व्यक्तियों के लिये हानिकारक या आपतजनिक हो सकती हैं।** उदाहरण के लिये, सरकार आपतजनिक छवियों या वीडियो के प्रसार को रोकने के लिये कुछ कषेत्रों में इंटरनेट का उपयोग अवरुद्ध करती रही है।

वपिक्ष में तर्क:

- इंटरनेट शटडाउन **लोकतंत्र और जवाबदेही को कमज़ोर** करते हैं, क्योंकि वे नागरिकों को सूचनाओं तक पहुँच बनाने, वचिार व्यक्त करने, सार्वजनिक वमिर्श में भाग लेने और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये जिम्मेदार ठहराने से अवरुद्ध करते हैं।
 - इंटरनेट शटडाउन **सत्तावादी सरकारों को आलोचकों को चुप कराने और विकृत सूचना प्रतधिवनिकक्ष (distorted information echo chambers) का नरिमाण करने में भी सक्षम** बना सकते हैं।
- कई आलोचकों ने तर्क दिया है कि इंटरनेट शटडाउन अप्रभावी और प्रतकिल उपाय है, क्योंकि वह उन समस्याओं के मूल कारणों का समाधान नहीं करता है जिनके समाधान की इससे अपेक्षा की जाती है।
 - उदाहरण के लिये, **इंटरनेट शटडाउन से हिसा या आतंकवाद पर रोक नहीं लगती, बल्कि प्रभावति आबादी में आक्रोश और असंतोष** की वृद्धि ही होती है।
 - इंटरनेट शटडाउन फेक न्यूज़ या हेट स्पीच पर भी रोक नहीं लगा पाता, बल्कि सूचना शून्यता की स्थिति उत्पन्न करता है जिसका दुर्भावना रखने वाले अभकिर्ता लाभ ही उठा सकते हैं।
- इंटरनेट शटडाउन मनमाना उपाय है और **इसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इन्हें प्रायः उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता या न्यायिक नरिक्षण का पालन कयि बना लागू किया जाता है।** कई बार इंटरनेट शटडाउन का आदेश स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जाता है

जनिके पास ऐसा करने की कानूनी शक्ति नहीं होती है।

- इंटरनेट शटडाउन में स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड, अवधि और दायरे का भी अभाव देखा जाता है, जिससे वे राजनीतिक हस्तक्षेप और मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

इंटरनेट शटडाउन से निपटने के लिये उठाये जाने वाले कदम:

- **मौजूदा ढाँचे को सुदृढ़ करना:** इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नियामक ढाँचे को सुदृढ़ किया जाना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार किया जाना चाहिये।
 - सरकार को तार अधिनियम और उसके नियमों में संशोधन करना चाहिये, जो पुराने पड़ चुके हैं और अस्पष्ट हैं। ये संवैधानिक और मानवाधिकार मानकों का पालन नहीं करते हैं।
- **अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना:** इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने और लागू करने वाले अधिकारियों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना तथा इनसे प्रभावित लोगों के लिये प्रभावी उपचार प्रदान करना।
- **वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करना:** सरकार को वधि-व्यवस्था की गड़बड़ी, सांप्रदायिक हिसा, आतंकवादी हमलों, राजनीतिक अस्थिरता आदि से निपटने के लिये अन्य कम हस्तक्षेपकारी उपायों पर विचार करना चाहिये। इसमें वशिष्ट वेबसाइटों या कंटेंट को अवरुद्ध करना, चेतावनी या सलाह जारी करना, नागरिक समाज एवं मीडिया को संलग्न करना, अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती करना आदि शामिल हो सकते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय के दशान्तिदेशों का पालन करना:** प्राधिकारों को अनुराधा भसीन मामले (2020) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दशान्तिदेशों का पालन करना चाहिये। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नमिनलखित दशान्तिदेश जारी किये हैं:
 - इंटरनेट नलिंबन का उपयोग केवल **अस्थायी अवधि के लिये किया जा सकता है।**
 - नलिंबन नियमों के तहत जारी किये गए इंटरनेट नलिंबन के किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिये और इसका विस्तार आवश्यक अवधि से आगे नहीं होना चाहिये।
 - नलिंबन नियमों के तहत इंटरनेट को नलिंबित करने वाला कोई भी आदेश **न्यायिक समीक्षा के अधीन है।**

अभ्यास प्रश्न: इंटरनेट शटडाउन जैसे उपाय के पक्ष-वपिपक्ष में मौजूद तर्कों की चर्चा कीजिये। उन नीतितगत उपायों के सुझाव दीजिये जो लोक व्यवस्था को बनाये रखने और व्यक्तितगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच संतुलन का निर्माण कर सकें।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/internet-shutdowns-and-their-ramifications>

